ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023
भाग – एक

1 **(क) प्रस्तावना: -**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा-118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5) C (15) LAD/ 2006-12669, दिनांक- 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक का अंकेक्षण हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे।

(i) प्रधान:-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्रीमती रीटा चौहान	01.04.2021से 31.03.2023

(ii) सचिव:-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्री राजन मोगटा	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चमियाना के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि(₹ लाखों में)
1	अनुदान का उपयोग न करना	8	103.57
2	विभिन्न स्रोतों से आय वसूली हेतु शेष	9	35.00
3	ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित की गई वाहन पार्किंग की लीज़ राशि के साथ वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली न करना	13 (ख)	8.68
4	संविदाकार द्वारा अग्रिम जमा की गई वाहन पार्किंग प्रतिभूति राशि को संविदाकार के पक्ष में गिरवी (Pledged) रखकर इस राशि को अनियमित रूप से सावधि जमा में निवेशित करना	13 (ग)	9.64
5	औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण किये बिना क्रय करना व क्रय की गई सामग्री की स्टॉक पंजिका में इन्द्राज न करना	29 व 30	2.47

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा इससे पहले ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 04/2013 से 03/2016 का अंकेक्षण निष्पादित किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दर्शाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अनिर्णीत शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित अंकेक्षण पैरों के निपटारे हेतु विशेष प्रयास/कार्रवाई करने के उपरान्त कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण: -

ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों का अंकेक्षण श्री विक्की कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 30.01.2024 से 17.02.2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत के चमियाना में स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष	**आय (₹)**	**व्यय (₹)**
2021-22	10/2021	03/2022
2022-23	05/2022	03/2023

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क: -

ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के लेखों अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- आँका गया है जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला- 9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-8 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत चमियाना से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

सचिव ग्राम पंचायत चमियाना द्वारा प्रस्तुत अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक अभिलेखों के अनुसार, 14 वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, IWMP व MG-NREGA के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्व: स्रोत्त की आय-व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts भी नहीं बनाए गए थे, जिस कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है तथा जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-"क"** पर भी दिया गया है।

(क) स्वत: स्रोत्त व अनुदान:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	5445983.01	5849809.67	11295792.68	5146833.00	6148959.68
2022-23	6148959.68	5382878.00	11531837.68	4506273.80	7025563.88

(ख) 14 वाँ वित्त आयोग:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2980599.00	79096.00	3059695.00	881179.00	2178516.00
2022-23	2178516.00	118273.00	2296789.00	2295897.00	892.00

(ग) 15वाँ वित्त आयोग:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	943300.00	1722907.00	2666207.00	0	2666207.00
2022-23	2666207.00	2538829.00	5205036.00	1874397.00	3330639.00

(घ) IWMP:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2811883.40	669890.00	3481773.40	3266277.64	215495.76
2022-23	215495.76	443228.00	658723.76	658723.76	0.00

(ङ) मनरेगा :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	-----	362618.00	362618.00	362618.00	-----
2022-23	-----	653524.00	653524.00	653524.00	-----

(च) बैंक समाधान विवरणी:-

	Bank Reconciliation Statement		Amount (₹)
	(A) Own Source, 5th FC, VKVNY, SBM, SDRF, VMJSY, SJVN, DCP and Other Grants		
	Total Cash Book balance on 31.03.2023		₹7025563.88
	Detail of Bank A/c's		
	(1) HPSCB Dhalli a/c No. 4090103033		₹3292075.93
	(2) HP Gramin Bank Dhalli a/c No. 89420100001959		₹3794064.51
	(3) Indusind Bank Shimla a/c No. 151772842566		₹5274
	Total		₹7091414.44
	Difference between cash book and bank balances		**₹65850.56**
	(B) 14th Finance Commission		
	Total Cash Book balance on 31.03.2023		₹892
	Detail of Bank A/c's		
	(1) HPSCB Dhalli a/c No. 40910105739		₹19652
	Difference between cash book and bank balances		**₹18760**
	(C) 15th Finance Commission		
	Total Cash Book balance on 31.03.2023		₹3330639.00
	Detail of Bank A/c's		
	(1) Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602		₹3437327.00
	Difference between cash book and bank balances		**₹106688**
	Detail of Difference		
	Particulars	**Dr.**	**Cr.**
	Balance as per cash book	**3330639.00**	
1	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Jan 1, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	20030.00	-----
2	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Oct 02, 2021 was Rs.19743, but only	2446.00	-----

	Rs. 17297 was taken at online cash book on dt. 30.03.022 thus Rs. 2446 less taken at Cash Book till 31.03.2023.		
3	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on July 1, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	20669.00	-----
4	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Oct 02, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	19652	-----
5	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Jan 01, 2023, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	21314	-----
6	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on March 31, 2023, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	22577	-----
	Balance as per bank passbooks (Detail as above)	-----	3437327.00
	Total	**₹3437327.00**	**₹3437327.00**
	(D) WIMP		
	Total Cash Book balance on 31.03.2023		₹0
	Detail of Bank A/c's		
	1. HP Gramin Bank Dhalli a/c No. 89420100008402		₹0
	Difference between cash book and bank balances		**-Nil-**

(छ) रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष में ₹0.85 लाख की राशि के अन्तर बारे:-

ग्राम पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही व 14 वें वित्त आयोग की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के दिनांक 31.03.2023 को निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹84610.56 की राशि का अन्तर था ।

Particulars	Amount (₹)
Balance as per Cash Book (General Cash Book)	₹7025563.88
Balance as per Cash Book (14th FC)	₹892
Total	**₹7026455.88**
Closing Balance of Bank a/c's as on 31.03.2023	
HPSCB Dhalli a/c No. 4090103033	₹3292075.93
HP Gramin Bank Dhalli a/c No. 89420100001959	₹3794064.51
Indusind Bank Shimla a/c No. 151772842566	₹5274
HPSCB Dhalli a/c No. 40910105739	₹19652
Total	**₹7111066.44**
Difference between Cash Book and Bank Accounts	**₹84610.56**

उक्त अन्तर का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GPCH/2023/25-5 दिनांक-07.02.2024 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित अंतर की उचित छानबीन पश्चात अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाएगी। अत: पाए गये उक्त का आंकड़ों की पुष्टि उपरांत तथ्यों सहित कारण स्पष्ट किया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा निवेश:-

ग्राम पंचायत चमियाना द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, दिनांक 31.03.2023 तक ₹964000/- की राशि सावधि जमा में निवेशित थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को आहरित करना अथवा पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

FDR No. a/c no.	Date of Investment	Amount Invested (₹)	Date of Maturity	Rate of Interest (%)	Amount of Maturity (₹)	Name of Fund
89423100117599	11.11.2021	964000	30.09.2024	5.25%	1120682	**Nidhi Fund**
Total amt. Invested as on 31.03.2023		**₹964000**				

6 बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। परन्तु पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही है। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई है। इस संदर्भ जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी नियमानुसार तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। लेकिन जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाताबहियाँ/

लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है । इस संदर्भ जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाताबहियाँ/लेखा खाते निर्धारित प्रारूप में तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

8 अनुदान ₹103.57 लाख का उपयोग न करना: -

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित **परिशिष्ट-"क"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त अनुदानों से ₹10357094.88 उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से सम्बन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों का संधारण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: दिनांक 31.3.2023 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उदेश्यों हेतु व्यय कर दिया जायेगा तदानुसार की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इन अनुपयोगी अनुदान राशियों को निर्धारित समय के अन्दर व्यय किया जाए अथवा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था, इसके अतिरिक्त इनके व्यय से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उचित समय के अंदर जारी करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 विविध संसाधनों से ₹35.00 लाख की आय वसूली हेतु शेष:-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों से ₹3500917/- की आय वसूली हेतु शेष थी। इस वसूली का विस्तृत विवरण निम्न अनुच्छेदों में दिया गया हैं ।

क्रम संख्या	आय की मद	पैरा संख्या	दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	गृह कर	10	38430
2	दूकान किराया	11(क)	1405688
4	सफाई कर	12	205799
5	वाहन पार्किंग शुल्क	13 (क)	1851000
	योग		**₹3500917/-**

10 दिनांक 31.3.2023 तक गृह कर ₹0.38 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव, ग्राम पंचायत, चमियाना द्वारा **परिशिष्ट 'ख'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 तक गृहकर ₹38430/- वसूली हेतु शेष था, जिसकी सत्यता की जांच अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी क्योंकि पंचायत द्वारा गृहकर सम्बन्धी मांग व संग्रहण रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर अनुरक्षण किया गया और न ही इसका समय-2 पर अद्यतन(Update) किया गया, गृह कर के ज़्यादातर मामलों में अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान वार्षिक माँग की प्रविष्टि नहीं की गई थी और न ही गृह कर/सम्पति कर प्राप्ति सम्बन्धी सपष्ट विवरण रजिस्टर में नही दर्ज था, जिसके अभाव दिनांक 31.3.2023 तक गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹38430/- की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2021-22	13860.00	21510.00	35370.00	12510.00	22860.00
2022-23	22860.00	21915.00	44775.00	6345.00	38430.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए एवम गृह कर रजिस्टर का पूर्ण अद्यतन (Update) करके संस्था स्तर पर गृह कर वसूली हेतु दर्शाई गई उक्त राशि की पुष्टि की जाए तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

11 दुकानों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹14.06 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत चमियाना द्वारा **परिशिष्ट 'ख'** उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित अभिलेखों से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31-03-2023 को निम्न विवरणानुसार ₹1405688/- दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे, जिसकी पड़ताल पर पाया गया कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में न लाये जाने के कारण वसूली हेतु शेष राशि प्रतिवर्ष बढती ही जा रही हैं जोकि एक चिंता का विषय हैं ।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2021-22	805050.00	766438.00	1571488.00	651698.00	919790.00
2022-23	919790.00	877538.00	1797328.00	391640.00	1405688.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) दुकानों के किराये के साथ वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹2.96 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली नही की जा रही है, जबकि वस्तु व सेवा अधिनियम- 2017 के भाग-5 और भाग-9 में वर्णित प्रावधानों अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 10 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत की अवधि 2021-22 और 2022-23 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹1643976/- पर देय वस्तु व सेवा कर (GST) 18% of ₹1643976/- = ₹295916/- की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी

अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली नही की गई जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।

वर्ष	दुकान किराये के रूप में वार्षिक मांग (₹)	18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)
2021-22	766438.00	137959.00
2022-23	877538.00	157957.00
कुल	**₹1643976/-**	**₹295916/-**

अत: दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानदारों द्वारा दुकान छोड़ देने के बावजूद भी दुकान किराये के रूप में शेष बची राशि ₹5.18 लाख की वसूली न करना:-

अंकेक्षण के दौरान दुकान किराया अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये दुकानदारों द्वारा अंकेक्षण अवधि से लगभग तीन वर्ष पहले दुकान छोड़ देने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा किराये के रूप में शेष बची भारी राशि ₹517900/- की वसूली नहीं की गई है। जोकि एक गम्भीर चिंता का विषय हैं एवम स्वत: परिलक्षित करता हैं कि ग्राम पंचायत अपनी आय प्राप्ति के प्रति सजग नही हैं।

क्रम संख्या	दुकानदार का नाम व विवरण	दिनांक 31.03.2023 तक वसूली हेतु शेष राशि (₹)	जिस वर्ष/ अवधि से दुकान छोड़ दी गई है
1	श्री चमन प्रकाश, ग्रामीण हाट दुकान संख्या-II	337500	01/2020
2	श्री अशोक कुमार, ग्रामीण हाट दुकान संख्या-III	180400	10/2020
योग		**₹517900/-**	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अत: उक्त बकाया राशि को वर्णित दुकानदारों से अतिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) पुन: आबंटित की गई दुकानों का मासिक किराया पिछले मासिक किराये की तुलना में कम निर्धारित करके ₹1.57 लाख की अपेक्षित वित्तीय हानि:-

अंकेक्षण के दौरान दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत के दुकानों के किरायेदारों द्वारा खाली/छोड़ी गई दुकानों का पुन: आबंटन पिछले मासिक किराये की तुलना में कम दरों पर किया गया था, जबकि साधारणत: इन दुकानों का आबंटन पिछले मासिक किराये की तुलना में वर्तमान में अधिक मासिक दर पर किया जाना अपेक्षित था, इसके अतिरिक्त अभिलेखों में वर्णित दुकानों को पिछले मासिक किराये की तुलना में कम दर पर आबंटित करने संबधी कोई भी विवरण व स्पष्टीकरण मौजूद नही था, जिस कारण ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अवधि तक ₹157500/- की अपेक्षित हानि हुई प्रतीत होती हैं ।

क्रम संख्या	दुकान का विवरण	पिछला मासिक किराया	माह जबसे दुकान पुन: आबंटित की गई	दुकानदार का नाम	मासिक किराया	मासिक किराये में अंतर	मार्च 2023 तक कुल माहों की संख्या	अपेक्षित आय की वित्तीय हानि (₹)
1	ग्रामीण हाट दुकान संख्या-II	16500	10/2021	श्री शेर सिंह	9725	6775	18	121950
2	ग्रामीण हाट दुकान संख्या-III	9350	10/2021	श्री श्याम सिंह	7375	1975	18	35550
योग								**₹157500/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में आंकड़ो व तथ्यों की पुष्टि उपरांत वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। अत: वर्णित मामलें में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) अनुबध की शर्तानुसार पट्टे की राशि में वृद्धि न करने के कारण ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष हो रही वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा Mauza Chamiyana में स्थित अपनी परिसंपति को 99 वर्षो के लिए HP State Civil Supply Corporation को

पट्टे पर दिया गया था, इस सन्दर्भ में ग्राम पंचायत व HP State Civil Supply Corporation के मध्य हस्ताक्षरित किये गये अनुबंध की शर्त संख्या-ii अनुसार, प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात पट्टें की राशि में 10 % की वृद्धि की जानी अपेक्षित थी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार पट्टें की राशि में नियमानुसार यह वृद्धि नही की गई थी, जिस कारण ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष पट्टे के रूप में प्राप्त हो सकने वाली आय की वित्तीय हानि हो रही हैं। जोकि एक गंभीर वितीय अनियमितता को इंगित करती हैं।

पट्टे की राशि में नियमानुसार वृद्धि न करने का विवरण:-

पट्टाधारी का नाम व स्थल का नाम	पट्टे की तिथि	पट्टे के समय निर्धारित किराया	प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात पट्टे की राशि में 10% बढोतरी की तिथि	ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया किराया	वास्तव में प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात 10% बढोतरी पर जो किराया निर्धारित किया जाना चाहिए था	किराये की दरों में अंतर
HP State Civil Supply Corporation, Mauza Chamiyana	01.08.2002	36683	01.08.2007	अभिलेख उपलब्ध नही	40351	----
			01.08.2012	अभिलेख उपलब्ध नही	44386	----
			01.08.2017	40351	48824	8473
			01.08.2022	44386	53706	9320

उपरोक्त के अतिरिक्त दुकान किराया अभिलेख की पड़ताल पर यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा HP State Civil Supply Corporation से 8 न शॉप्स को किराये पर दिए जाने की एवज़ में प्रति वर्ष ₹208572/- की राशि दूकान किराये के रूप में प्राप्त हो रही हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में दुकान के किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वियन नही किया गया है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नही हो सकी।

वर्णित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिस सन्दर्भ में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: उक्त विवरणानुसार पट्टे की राशि में नियमानुसार वृद्धि न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टे की राशि में आवश्यक संशोधन

करके बकाया पट्टा राशि की गणना की जाए व तदानुसार इसकी वसूली भी शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को HP State Civil Supply Corporation से 8 न शॉप्स को किराये पर दिए जाने की एवज़ में प्रति वर्ष प्राप्त हो रही राशि से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाए ताकि प्राप्त हो सकने वाले किराए हो न्यायोचित ठहराया जा सकें।

(च) दुकान के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत चमियाना के अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार दुकान के किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नही किया गया है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नही हो सकी।

क्रम संख्या	दुकानदार का नाम व विवरण	आबंटन की तिथि
1	श्री रामकृष्ण (आई आर डी पी दुकान संख्या-1)	अभिलेख उपलब्ध नही
2	श्री प्रेम सिंह (आई आर डी पी दुकान संख्या-2)	अभिलेख उपलब्ध नही
3	प्रेम दास (आई आर डी पी दुकान संख्या-3)	अभिलेख उपलब्ध नही
4	श्रीमती दशौदा देवी (आई आर डी पी दुकान संख्या-4)	अभिलेख उपलब्ध नही
5	श्री रामदयाल (आई आर डी पी दुकान संख्या-5)	अभिलेख उपलब्ध नही
6	श्री गिरिजा नन्द (आई आर डी पी दुकान संख्या-6)	अभिलेख उपलब्ध नही
7	श्री माठु राम (आई आर डी पी दुकान संख्या-7)	अभिलेख उपलब्ध नही
8	श्री मेद राम (आई आर डी पी दुकान संख्या-8)	अभिलेख उपलब्ध नही
9	श्रीमती मीरा देवी (आई आर डी पी दुकान	अभिलेख उपलब्ध नही

	संख्या-9)	
10	सवयं सहायता समूह (आई आर डी पी दुकान संख्या-10)	अभिलेख उपलब्ध नही
11	श्री राजकुमार (आई आर डी पी दुकान संख्या-11)	अभिलेख उपलब्ध नही
12	सवयं सहायता समूह (आई आर डी पी दुकान संख्या-12)	अभिलेख उपलब्ध नही
13	श्रीमती शांति देवी (आई आर डी पी दुकान संख्या-13)	अभिलेख उपलब्ध नही
14	ग्रामीण हाट दूकान संख्या-1	अभिलेख उपलब्ध नही
15	HP State Civil Supply Corporation 8 न. शॉप्स Mauza Chamiyana	अभिलेख उपलब्ध नही

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: दुकान के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. सफाई शुल्क के रूप में ₹2.06 लाख की कम वसूली:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर गया कि ग्राम पंचायत के अधीन सात वार्ड हैं, ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में स्थित बिल्डिंग व फ्लैट्स के लिए सफाई शुल्क हेतु प्रतिमाह निर्धारित की गई दर अनुसार, अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न तालिका अनुसार कुल ₹1647600/- की वसूली की जानी अपेक्षित थी, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा वर्णित अवधि के दौरान मात्र ₹1441801/- की वसूली ही की गई। फलस्वरूप सफाई शुल्क के रूप में ₹205799/- की कम वसूली हुई है, जोकि एक गंभीर चिंता का विषय है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Financial Year	Type of Establishment	No.	Rate of recovery	Recoverable Amount per annum	Amount recovered	Less amount recovered
2021-22	Buildings	282	200 Per month,	676800	586700	210100

			per building			
	Flats	100	100 Per month, per flat	120000		
Total				**₹796800**	**₹586700**	**₹210100**
2022-23	Buildings	300	200 Per month, per building	720000	855101	
	Flats	109	100 Per month, per flat	130800		
Total				**₹850800**	**₹855101**	**₹-4301**
G/Total				**₹1647600**	**₹1441801**	**₹205799**

(ख) अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक सफाई शुल्क के रूप में किस बिल्डिंग व फ्लैट्स से कितनी राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि वसूल की गई है व दिनांक 31.03.2023 को कितनी राशि वसूली हेतु शेष है, का स्पष्ट विवरण नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था।

(ग) अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक सफाई शुल्क मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था, अर्थात सफाई शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूली गई है व दिनांक 31.03.2023 तक कितनी राशि वसूली हेतु शेष है, इस सम्बन्धी स्पष्ट विवरण रजिस्टर में दर्ज नही था।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-6 दिनांक: 16.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अत: सफाई शुल्क की कम वसूली का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इससे सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तैयार करने के उपरांत वसूली हेतु दर्शायी गयी उक्त राशि व इसके अतिरिक्त कोई राशि जो बकाया बची हो, की गणना करके आवश्यक वसूली शीघ्र अति शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 वाहन पार्किंग शुल्क:-

(क) दिनांक 31.03.2023 तक ₹18.51 लाख वाहन पार्किंग शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष:

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.10.2021 से 30.09.2024 तक 3 वर्ष के लिए वाहन पार्किंग का आबंटन श्री इन्दर सिंह, संविदाकार को ₹4820000/- की लीज राशि में किया गया था, जिनसे दिनांक 31.03.2023 तक निम्न

तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹1851000/- की राशि वसूली हेतु शेष थी। अत: वर्णित राशि की वसूली न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जाने सुनिश्चित किये जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	संविदाकार/आबंटी का नाम	पार्किंग आबंटन की तिथि	लीज़ राशि (₹)	प्राप्ति (₹)	दिनांक 31.03.2023 तक वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	श्री इन्दर सिंह	01.10.2021	4820000	2969000	1851000
योग					₹1851000/-

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित की गई वाहन पार्किंग लीज़ राशि के साथ वस्तु व सेवा कर (GST) ₹8.68 लाख की वसूली न करना:-

अंकेक्षण के दौरान वाहन पार्किंग शुल्क से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ठेके पर दी गई वाहन पार्किंग की लीज़ राशि के साथ वस्तु व सेवाकर (GST) की वसूली नही की जा रही है, जबकि वस्तु व सेवा अधिनियम- 2017 के भाग-5 और भाग-9 में विहित प्रावधानों अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर @18% वस्तु व सेवाकर GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 15 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा वाहन पार्किंग की कुल लीज़ राशि ₹4820000/- पर देय वस्तु व सेवा कर (GST) 18% of ₹4820000/- = ₹867600/- की वसूली में उपरांत इसे सम्बंधित विभाग जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय वस्तु व सेवा कर (GST) की वसूली नही की गई जोकि न्यायोचित प्रतीत नही होता।

क्रम संख्या	वाहन पार्किंग शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2023 तक प्राप्त राशि (₹)	18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)
1	4820000	867600
योग	**₹4820000/-**	**₹867600/-**

अत: इस संदर्भ में आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत आबंटित की गई वाहन पार्किंग की लीज़ राशि के साथ वस्तु व सेवा कर की वसूली न करने को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जाएं, अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित से की जानी सुनिश्चित करके अतिशीघ्र इस राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवम अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) संविदाकार द्वारा अग्रिम जमा की गई ₹9.64 लाख की वाहन पार्किंग प्रतिभूति राशि को संविदाकार के पक्ष में गिरवी (Pledged) रखकर इस राशि को अनियमित रूप से सावधि जमा में निवेशित करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ठेके पर दी गई वाहन पार्किंग की एवज में ग्राम पंचायत व श्री इन्दर सिंह, वाहन पार्किंग संविदाकार के मध्य हस्ताक्षरित किये गये अनुबंध की शर्त संख्या-2 अनुसार, "Second Party has deposited 20% advance of the total bid amount i.e. ₹964000/- as security amount and the security amount will be adjusted in the lease amount." अत: ₹964000/- संविदाकार से ग्राम पंचायत को वाहन पार्किंग प्रतिभूति के रूप में अग्रिम जमा के रूप में प्राप्त हुआ था , अनुबंध प्रावधानानुसार इस राशि को वाहन पार्किंग लीज राशि (Total lease amount) में ही समायोजित किया जाना अपेक्षित था जिस कारण यह राशि पूर्ण: रूप से ग्राम पंचायत की आय थी। अभिलेख जाँच में पाया गया कि दिनांक 27.11.2021 को अग्रिम जमा के रूप में प्राप्त इस राशि को ग्राम पंचायत द्वारा वाहन पार्किंग संविदाकार श्री इन्दर सिंह के पक्ष में गिरवी (Pledged) रखकर लगभग 3 वर्षों के लिए सावधि जमा में निवेशित किया था, चूँकि यह राशि ग्राम पंचायत की अपनी आय थी, जिस कारण इसे ग्राम पंचायत के नाम से गिरवी (Pledged) रखकर सावधि जमा में निवेशित किया जाना अपेक्षित था ताकि सावधि जमा में निवेशित राशि सावधि जमा की परिपक्वता तिथि को ग्राम पंचायत की आय बन सके, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसे अनियमित रूप से वाहन पार्किंग संविदाकार श्री इन्दर सिंह के नाम से गिरवी (Pledged) रखकर सावधि जमा में निवेशित किया, जिस कारण सावधि जमा की परिपक्वता तिथि को वर्णित राशि का ब्याज सहित संविदाकार को भुगतान करना अपेक्षित होगा। जोकि एक गम्भीर वितीय दुर्विनियोजन की स्थिति को परिलक्षित करता हैं, अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वर्णित अनियमितताओं का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: पाई गई उक्त अनियमितताओं बारे आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरांत पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में संस्था स्तर पर उचित छानबीन पश्चात आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 मोबाईल टावर शुल्क:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापित करने, उनके स्थापना व वार्षिक नवीनीकरण

शुल्क, भुगतान, आग्रिम भुगतान की दशा में छूट एवं समय पर शुल्क की अदायगी न करने की स्थिति में जुर्माना लगाने व अनुमति रद्द करने से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मोबाइल टावर शुल्क की मांग व वसूली हेतु कोई भी रजिस्टर नहीं लगाया गया था जिसके कारण मोबाइल टावर शुल्क की मांग व वसूली की पुष्टि नही हो सकी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट-"ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जियो रिलाईंस कम्पनी द्वारा दिनांक 28.12.2020 को एक मोबाईल टावर स्थापित किया गया था, जिससे वर्णित दिनांक को ही अगले पांच वर्ष (28.12.2025) तक का नवीनीकरण शुल्क अग्रिम के रूप में प्राप्त हुआ था, जिस कारण उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक कोई भी राशि वर्णित कम्पनी से मोबाईल टावर शुल्क के रूप में बकाया नही थी। अत: वर्णित हेतु आवश्यक अभिलेख तैयार करने उपरांत सत्यापन हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए, ताकि वर्णित सूचना को न्यायोचित ठहराया जा सकें।

15 भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा ज़ारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करना परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत को राजस्व की अनुवर्ती हानि: -

प्रधान सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या:रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक: 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवम संग्रह तथा अभिलेख संधारित करने की प्रकिया प्रावधित है। अंकेक्षण के दौरान पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत चमियाना को अंकेक्षण अवधि 2021-22 व 2022-23 के दौरान भू-राजस्व के रूप में कोई भी राशि प्राप्त नही हुई थी इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रह तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को भी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं अपनाया गया था जबकि पंचायत सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में वार्षिक मांग, संग्रह एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने वांछित थे, जिससे यह पता लगाया जाना संभव होता कि पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रह के लिए बकाया है जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। प्रधान सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना न करने के कारण पंचायत को राजस्व के रूप में अनुवर्ती नुकसान भी हो रहा है।

अत: प्रधान सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना की अनुपालना न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख तैयार किये जाने सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 शराब उपकर के रूप में प्राप्त राशि ₹0.12 लाख की जांच हेतु सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 2021-22 और 2022-23 के दौरान ग्राम पंचायत को निम्न विवरणानुसार मात्र ₹11589/- की राशि शराब उपकर के रूप में प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से देय वसूली की सत्यापना हेतु पंचायत परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा की बोतलों की संख्या से सम्बन्धित अभिलेख/सूचना को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में शराब उप-कर के रूप में प्राप्त आय की सत्यापना सम्भव न हो सकी एवम इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि प्राप्त राशि किस अवधि से सम्बन्धित हैं व कितनी राशि आबकारी व कराधान विभाग से अंकेक्षण अवधि तक प्राप्त करने हेतु बकाया हैं ।

शराब उप-कर प्राप्ति विवरण				
वर्ष	**प्राप्त राशि (₹)**	**प्राप्ति की तारीख**	**रोकड़ बही पृष्ट संख्या**	**टिप्पणियाँ**
2021-22	11589	31.03.2022	133	आवश्यक विवरण अभिलेखों में संलग्न नही
कुल	**₹11589/-**			

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जाए व यदि सम्बन्धित विभाग से इसके अतिरिक्त कोई देय शेष बचती हो तो उसकी भी वसूली सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़ों को एकत्रित करने सहित सुनिश्चित करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

17 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्य हेतु माप पुस्तिका में मूल्यांकित(Assessed) किये गये कार्य की तुलना में मस्टरोल द्वारा ₹0.14 लाख की मजदूरी का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के अंतर्गत भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिलों की नमूना पड़ताल पर पाया कि निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार माप पुस्तिका में मूल्यांकित किये गये कार्य की तुलना में मस्ट्रोल के माध्यम से ₹14206/- की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या	मस्ट्रोल के माध्यम से किया गया कुल भुगतान	माप पुस्तिका में मूल्यांकित(Assessed) किया गया कार्य	अधिक भुगतान	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या
			मनरेगा निधि			
1	C/o RWH Tank Sh.	1510	10556	10497	59	5912/13

	Babu Ram s/o Sh. Chet Ram Kalhali.					
2	C/o Panchwati Park in GP Chamiyana	1501	12383	12327	56	5912/14
3	Cattle Shed Smt. Daoda Dei w/o Baldev Vill. Chakdyal	2257 & 2259	32841	32648	193	5912/28
4	Providing PCC Road Bhatakuffer via Khaljog	2260 & 2261	42550	28652	13898	5912/26
योग					**₹14206/-**	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: किये गये अधिक भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत्त से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 प्राप्त बिल की तुलना में ₹1852/- का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में बिल पर अंकित कुल राशि की तुलना में वाउचर की माध्यम से ₹1852/- अधिक भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित हैं।

क्रम संख्या	निधि	वाउचर न. व दिनांक	बिल की कुल राशि (₹)	भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	15वां वित्त आयोग	23/P/46, 57, 58	54782	55832	1050
2	15वां वित्त आयोग	23/P/49	10912	11160	248
3	15वां वित्त आयोग	23/P/50	14880	14784	96
4	15वां वित्त आयोग	23/P/51	9300	9152	148
5	14 वां वित्त आयोग	22/P/27/ 05.03.2022	78196	78496	300
6	सामान्य निधि	232/13.03.2023	2600	2610	10
योग					**₹1852/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में

लायी जाएगी । अत: किये गये अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्रोत्त से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

19 वास्तविक बिल प्राप्त किये बिना ही ₹0.24 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹24436/- का भुगतान Lokesh Shandil, HPPWD Govt. Contractor को किये गया था, जाँच के दौरान पाया गया कि यह भुगतान फर्म से वास्तविक बिल को प्राप्त करने के स्थान पर मात्र बिल की छाया प्रति को भुगतान हेतु पारित करके किया गया था, जिस कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता सिद्ध नही की जा सकती, व इस सन्दर्भ में किसी भी दोहरे भुगतान की सम्भावना को नही नकारा जा सकता।

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विवरण	बिल संख्या व दिनांक	वाउचर संख्या व दिनांक	राशि(₹)	टिप्पणी
1	Lokesh Shandil, HPPWD Govt. Contractor	Sand	389/ 08.03.2023	62/21.03.2023	24436	Payment has been made through photocopy of bill. Original bill has not attached in the voucher file.
योग					**₹24436/-**	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अत: किये गये इस भुगतान के संदर्भ में वास्तविक अभिलेख अंकेक्षण को सत्यापन हेतु शीघ्र प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जा सकें ।

20 निर्माण कार्य "Aluminium fabrication works Pradhan office Chamyana" के निष्पादन में पाई गई अनियमितताओं बारें:-

इस कार्य हेतु निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार ₹151200/- का भुगतान Smayra Traders Aluminium Febrications, Dhalli किया गया था, जिसका अंकेक्षण करने पर निम्न आपतियां अपेक्षित है जिनका निराकरण किया जाना सनिश्चित किया जाए :-

कार्य का नाम	संविदाकार/फर्म का नाम	वाउचर न. & दिनांक	बिल संख्या & दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹)
Aluminium fabrication	Smayra Traders	227/	144/	151200

works Pradhan office Chamyana	Aluminium Febrications,Dhalli.	03.03.2023	21.01.2023	
योग				**₹151200/-**

i. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/निर्माण कार्य जिनकी लागत ₹50,000 से अधिक है, को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इस कार्य हेतु वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण नही किया गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

ii. इस कार्य हेतु आपूर्ति किये गये सामान की स्टॉक पंजिका में पृविष्टि नही की गई थी, जिस कारण आपूर्ति किये गये सामान के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नही किये जा सकता जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

iii. वर्णित कार्य का मूल्याकन माप पुस्तिका में दर्ज नही किया गया था अत: माप पुस्तिका में कार्य को दर्ज किये ही किया गया यह भुगतान अनियमित था, तथा किसी भी अधिक भुगतान की स्थति को उजागर करता हैं, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

iv. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार इस कार्य हेतु सेवा प्रदाता फर्म के बिल से भुगतान से पूर्व स्रोत्त पर आय कर के रूप में {@2% ऑफ़ 151200} ₹3024/- की कटौती नही की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अत: पाई गई अनियमितताओं का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही करके अधिक भुगतान की स्थिति में वर्णित वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 निम्नगुणवत्ता के कार्य "Retaining wall on the path at Village Chamyana near Surinder House" का निष्पादन राशि ₹1.03 लाख:-

ग्राम पंचायत चमियाना द्वारा चौहदवें वित्तायोग शीर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य "Retaining wall on the path at Village Chamyana near Surinder House" ₹102777/-" का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या–28740 पृष्ठ संख्या 7 से 8 पर दर्ज था। माप पुस्तिका के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त कार्यों में निम्नानुसार निष्पादित मदों हेतु 58 बैग सीमेंट की खपत की जानी अपेक्षित थी । ताकि

कार्य हि०प्र० लोक निर्माण विभाग द्वारा तय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवता का किया जा सके। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य हेतु मात्र 25 सीमेंट बैग का ही प्रयोग किया गया था, फलस्वरूप निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन किया गया :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	मद का नाम	निष्पादित मात्रा	घटक	प्रयोग योग्य सीमेंट की अपेक्षित मात्रा
1	"Retaining wall on the path at Village Chamyana near Surinder House"	Providing and Laying in Cement concrete in 1:4:8	1.49 m3	3.40 प्रति घन मीटर	5.07
2		R/R masonry with cement mortar (1:6)	32.18 m3	1.65 प्रति घन मीटर	53.10
योग					**58.17 बैग**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः निम्न गुणवत्ता के कार्य करने को न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में निम्न गुणवत्ता के कार्य करने से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न गुणवत्ता के कार्य करवाने हेतु उचित छानबीन करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 क्रय की गई ₹0.21 लाख की HDPE Pipe की माप पुस्तिका में अनियमित खपत दर्शाकर इस सामग्री का संभावित दुरूपयोग:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये निर्माण कार्य में 20mm व 25mm के Dia वाली HDPE pipe को बिछाने हेतु माप पुस्तिका संख्या-009501 पृष्ठ संख्या-93 पर 1000 रनिंग मीटर लम्बाई में खुदाई (Excavation) का कार्य किया गया था, जिस कारण 1000 रनिंग मीटर की लम्बाई में ही HDPE pipe बिछाई जानी अपेक्षित थी, क्यूंकि कार्य निष्पादन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार, यह पाईप Excavated जमीन पर बिछाई जाती हैं, ताकि पाईप की मजबूती बरकरार रह सकें, जांच में यह पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गये विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य हेतु 20mm Dia वाली 1200 रनिंग मीटर लम्बी व 25mm Dia वाली 900 रनिंग मीटर लम्बी (कुल 2100 Rmt.) HDPE पाईप क्रय की गई थी। अभिलेख जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में HDPE pipe के प्रयोग सम्बन्धी कोई भी मूल्यांकन(Measurement) नही किया गया था अपितु HDPE pipe के क्रय सम्बन्धी बिल को ही

माप पुस्तिका में ज्यू का त्यु दर्ज़ करके भुगतान किया गया था, चूँकि उक्त विवरण अनुसार खुदाई का कार्य केवल 1000 रनिंग मीटर में किया गया था, इस कारण केवल इतनी ही लम्बाई में HDPE pipe का निष्पादन किया जा सकता था, किन्तु माप पुस्तिका में कुल 2100 रनिंग मीटर लम्बी HDPE pipe का उपभोग परोक्ष रूप से बिना मूल्यांकन(Measurement) के दर्शाया गया, जोकि न्यायोचित प्रतीत नही होता तथा अधिक उपभोग दर्शायी गई 1100 रनिंग मीटर की निर्माण सामग्री जिसका मूल्य निम्न तालिका अनुसार औसतन ₹21393/- बनता हैं, के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता, इसके अतिरिक्त क्रय की गयी इस निर्माण सामग्री की पृविष्टि स्टॉक रजिस्टर में भी नही की गई थी।

निर्माण कार्य का नाम-निर्माण तालाब करयाली						
क्रम संख्या	**फर्म का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**क्रय किये गये सामान का विवरण**	**मात्रा**	**भुगतान की गई राशि**	**टिप्पणी**
1	Himalyan pipe industries Solan	HPI/2020-21/0363 dt. 15.02.2021	20mm HDPE PIPE PE 80 PN-12.5	1200RMT	20801	चूँकि माप पुस्तिका में HDPE PIPE के निष्पादन संबधी कोई मूल्यांकन (Measurement) नही दिया गया था, इस कारण अधिक क्रय की गयी सामग्री में हुए वित्तीय दुर्विनियोजन की राशि का आकलन निम्न अनुसार किया गया :- **₹40841/2100Rmt x1100Rmt =₹21393/-**
2			25mm HDPE PIPE PE 80 PN-10	900RMT	20040	
योग					**₹40841/-**	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः उक्त निर्माण कार्य में हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की माप पुस्तिका में अनियमित खपत दर्शाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता के कारण किये गये अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत्त से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान से सत्यापित करवाए बिना ही ₹0.55 लाख का संदिग्ध भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में प्राप्त भुगतान बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान से सत्यापित किये बिना ही संबधित फर्म व संविदाकार को भुगतान किया गया था जोकि संदिग्ध प्रतीत होता हैं।

क्रम संख्या	निधि का नाम	वाउचर संख्या व दिनांक	भुगतान का विवरण	राशि
1	सामान्य निधि	228/	Sharma Hardware for supply of PVC pipe fitting material	4526
2	सामान्य निधि	246/31.03.2023	Sh. Sunil Sanitory contractor	50000
योग				₹54526/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः बिलों को ग्राम पंचायत प्रधान से सत्यापित करवाए बिना ही किये गये भुगतान का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 फर्म व सेवा प्रदाता के बिल से स्त्रोत पर आयकर(TDS) ₹1012/- की कटौती न करना :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C) में विहित प्रावधानों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किये गए ₹30000/- से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹100000/- से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी अपेक्षित है लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की अनुपालना न करते हुए, निम्न प्रकरण में सेवा प्रदाता फर्म के बिल से स्त्रोत पर आयकर ₹1012/- की कटौती नहीं की गई थी, फलस्वरूप जहाँ एक ओर फर्म व सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है वही दूसरी ओर सरकार को राजस्व के रूप में ₹1012/- की हानि पहुंचाई गई है जोकि गंभीर वितीय अनियमितता है।

वाउचर संख्या व दिनांक	निधि का नाम	फर्म का नाम व पूर्ण विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	आयकर जिसकी कटौती की जानी अपेक्षित थी (₹)	टिप्पणी
23/P/46/ 05.03.2023	15th FC	M/s Krishna Steel Fabrication Bhatta Kuffer, Sanjauli	50587	@2% 1012	Making of 12 Nos iron dustbins.
योग				₹1012/-	

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र

संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अतः उक्त अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा किये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 ₹10.25 लाख की अनुपयुक्त धनराशि को वापिस करनाः-

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिए विवरण अनुसार ₹1025200/- की राशि खण्ड विकास अधिकारी, मशोबरा को वापिस लौटाई गई थी। चर्चा के दौरान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया उक्त राशि निम्न निर्माण कार्यों की अनुपयोग राशि थी जिसे खण्ड विकास अधिकारी को वापिस किया गया जो Funding Agency को भेजी जानी थी। पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं को समय पर पूर्ण न करने के कारण विकास के कार्य अवरुद्ध हुये तथा जनमानस को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित होना पड़ा।

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	BDO कोटखाई को वापिस की गई धनराशि (₹)
1	निर्माण WST मातन माल्टी	WIMP	03/22	53	118000
2	नि० पाईप लाईन गवाई खड्ड से मातल माल्टी	WIMP	03/22	53	229000
3	निर्माण WST सेरी चमियाना	WIMP	03/22	53	101000
4	निर्माण WST कल्टी बोह नज़दीक स्कूल	WIMP	03/22	53	98200
5	निर्माण पंप स्टेशन मातन माल्टी	WIMP	03/22	53	277000
6	निर्माण बखोला इन्दर सिंह की ज़मीन पर	WIMP	03/22	53	103000
7	निर्माण रास्ता व नालियाव दावार न्यू देवली कलोनी संध्या निवास	VKVNY	03/23	24	99000
योग					**₹1025200/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाए तथा भविष्य में पंचायत को विकास योजनाओं हेतु जो राशि प्राप्त होगी उसे समय पर व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यो हेतु प्राप्त राशि को वापिस Funding Agency को न भेजना पड़े।

26 ठेकेदार/सप्लायर से रॉयल्टी वसूल न करना ₹0.13 लाख:-

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के पत्र संख्या 5-49/79 उद्योग(जियोलॉजिस्ट) रूल्स-2015-वोल-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 द्वारा हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल(कन्सेशन) रूल्स 1971 का निरसन कर हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल(कन्सेशन) एंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इललीगल माईनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) 2015 को 13.03.2015 से लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग के पत्र संख्या इंड-II(ऐफ़)6 -14 /2014-वोल-I दिनांक 10.02.2022 द्वारा इन रूल्स में संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरल(कन्सेशन) रूल्स, 2022 अधिसूचित किये गये थे। इस नियम के अनुसार, विकास कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए सप्लायर माईनिंग अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत को देना अनिवार्य हैं। यदि वह प्रमाण पत्र नही देता है, तो ग्राम पंचायत बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी को बिल से काटेगा और प्राप्त राशि को सरकारी ख़ज़ाने में मुख्य शीर्ष "0853" नॉन फैरस माईनिंग एवम मैटालजिकल इंडस्ट्रीज उपशीर्ष "102" मिनरल कन्शैस फीस किराया एवम रॉयल्टीज "01" खनिज रियासत फीस आदि प्राप्ति "05" वेज एवम मीनज फीगरज में जमा करेगा।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की नमूना पड़ताल में पाया गया कि कार्य स्थलों पर **परिशिष्ट-"घ"** अनुसार रेत, बजरी का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापति प्रमाण पत्र/प्रपत्र में प्राप्त किया गया था जोंकि अनियमित है जिसके कारण ठेकेदार/सप्लायर को ₹13146/- का अधिक भुगतान किया गया था।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलें में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: ठेकेदार/सप्लायर से रॉयल्टी वसूल न करने व अनापति प्रमाण पत्र/प्रपत्र प्राप्त न करने का कारण अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए एवम मामलें में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2022 और 03/2023 के दौरान व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्णित माहों के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे। जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः चयनित माह 03/2022 और 03/2023 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न करने बारे तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए एवम भविष्य में इस तरह के मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जाए ।

28 साफ-सफाई कार्य हेतु किए गए ₹0.39 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा साफ-सफाई कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार 7 व्यक्तियों को विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2023 के दौरान ₹39000/- का भुगतान किया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में नियुक्ति से सम्बन्धित अपनाई गई प्रक्रिया कार्यान्वित अनुबन्धकरार तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन/स्वीकृति इत्यादि कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	कर्मचारी का नाम	भुगतान की गई राशी
1	216/ 14.03.2023	अमर सिंह	6000
2		अनिता	6000
3		धरमेंदर	6000
4		चोट्टू लाल	6000
5		सतीश	6000
6		सुभाष कुमार	6000
7		रणजीत	3000
योग			**₹39000/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलें में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अत: किये गये उक्त भुगतान के सम्बन्ध में अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि किये गये भुगतान को नियमों के दृष्टिगत न्यायोचित ठहराया जा सकें ।

29 क्रय की गई ₹1.79 लाख की सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज(वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72(1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹178834/- की सामग्री जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट-"ङ"** पर दिया गया है, को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर मामला है । इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलें में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अत: क्रय की गई वर्णित सामग्री की भण्डार पुस्तिका में दर्ज़ न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम मामलें में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30 नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.68 लाख का स्टॉक/ स्टोर को क्रय करना-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम-2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं तथा नियम 67 (3)(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप-प्रधान व ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप-समिति का गठन करके समिति द्वारा कुटेशन/निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-"च"** पर दिए विवरण अनुसार ₹68300/- स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार कुटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मामलें में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जाएगी । अत: प्रवाधित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किये गये अनियमित क्रय का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवम वर्णित व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 भुगतान किये गए ₹30.86 लाख के बिल्स पर नियमानुसार सयुंक्त अदायगी आदेश अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी वाउचर के लिए नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नही किया जायेगा जब तक कि यह यथा स्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंको दोनों में देय रकम को इसमें विर्निष्ट करते हुए सयुंक्त हस्ताक्षरित अदायगी धारित नही करता। ग्राम पंचायत झाल्टा के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित किये गये माहों के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बंधित वाउचरों/बिल को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बद्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंको दोनों में देय रकम को इसमें विर्निष्ट करते हुए सयुंक्त हस्ताक्षरित या अदाक्षरित अदायगी आदेश धारित नही किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने के अभाव में निम्न तालिका अनुसार व्यय चयनित माहों के दौरान किये गए भुगतान ₹3086503/-अनियमित थे और इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नही किया जा सकता तथा यह वर्णित नियमो की सपष्ट अवेहलना है।

माह	**भुगतान की गई कुल राशि**
03/22	1448994
03/23	1637509
कुल	**₹3086503**

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अत: भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार सयुंक्त अदायगी आदेश अंकित न करके का औचित्य स्पष्ट करते हुए मामलें में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लायी जाए व भविष्य में इस तरह के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिचित की जाए।

32 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Assets Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों का विवरण दर्ज न करना:-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम.एम.पी) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन हैं जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान की खरीद/भुगतान एवम पंचायत सम्पति इत्याधि का इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला (हि.प्र.) के अभिलेखों की नमूना पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Assets Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को तो दर्ज़ किया गया था किन्तु इन सम्पतियों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण जैसे सम्पति अर्जित करने अथवा निर्मित करने की तारीख, सम्पति का मूल्य अथवा लागत तथा सम्पति की वर्तमान स्थिति आदि इसमें दर्ज़ नही की गई थी।

पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट(एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गई इस योजना के अंतर्गत दी गई एप्लीकेशन में दर्ज़ किया जाना अनिवार्य था।

अत: यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नही किया जा रहा है। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लीकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मन्त्रालय की ओर से ज़ारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन ही नही बल्कि एक गंभीर अनियमितता है।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अत: राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Assets Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों का विवरण दर्ज न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 कार्य समिति/निगरानी समिति के गठन के बिना ही विकास कार्यों का निष्पादन करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकाय कार्यों का निष्पादन कार्य सिमति/निगरानी समिति के गठन के बिना ही किया गया था जबकि हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 23 तथा हि0प्र पंचायती राज विभाग सामान्य नियम 1997 के नियम 19 के अन्तर्गत कार्य सिमति/निगरानी समिति का गठन अनिवार्य है जिसकी निगरानी में पंचायत के समस्त विकास कार्य निष्पादित किए जाने अपेक्षित है परन्तु उक्त समिति के गठन न करने के कारण विकास कार्यों की एवज में किए गए भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः बिना कार्य समिति/निगरानी समिति के किये गये कार्यों का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये।

34 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार, सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवाया गया था।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

35 वर्गीकृत सार को तैयार न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते)नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी व प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करना जहां सम्भव न हो सका वहीं आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का प्रारूपण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई ।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का रख-रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

36 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

37 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जोकि अनियमित हैं ।

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: GPCH/2023/24-7 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 25 दिनांक: 17.02.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी । अत: इस संदर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

38 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

39 **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

12 JUN 2024

2746 – 2750 का0/वि0

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i) 109/2021 खण्ड—1— दिनाँक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत चमियाना, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

JUN 2024

11.6.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2626670

का0/वि0

<u>परिशिष्ट- 1</u>

<u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की स्थिति</u> :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्यां	निर्णित/अनिर्णीत	टिप्पणी
(क)	**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/13 से 03/16**		
1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹9000/- की राशि दिनांक 13.01.2022 (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या-47) को प्रेषित करने उपरांत
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
6	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
7	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	निर्णीत	सचिव पंचायती राज की अधिसूचना संख्या PCH-HA(3) 4/2011-11 दिनांक 06.08.2017 के दृष्टिगत निर्णीत
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित
14	पैरा 16	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित

परिशिष्ट - "क" पैरा सं. 4 के संदर्भ में

वित्तीय स्थिति

(क) स्वत: स्रोत्त व अनुदान:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	5445983.01	5849809.67	11295792.68	5146833.00	6148959.68
2022-23	6148959.68	5382878.00	11531837.68	4506273.80	7025563.88

(ख) 14 वाँ वित्त आयोग:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2980599.00	79096.00	3059695.00	881179.00	2178516.00
2022-23	2178516.00	118273.00	2296789.00	2295897.00	892.00

(ग) 15वाँ वित्त आयोग:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	943300.00	1722907.00	2666207.00	0	2666207.00
2022-23	2666207.00	2538829.00	5205036.00	1874397.00	3330639.00

सचिव
ग्राम पंचायत चनियाला
विकास खण्ड [illegible]
तह. व जिला [illegible]

(घ) **IWMP:-**

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	2811883.40	669890.00	3481773.40	3266277.64	215495.76
2022-23	215495.76	443228.00	658723.76	658723.76	0.00

(ङ) **मनरेगा :-**

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2021-22	-----	362618.00	362618.00	362618.00	-----
2022-23	-----	653524.00	653524.00	653524.00	-----

सचिव
ग्राम पंचायत चनियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह. व जिला शिमला (हि.प्र.)

परिशिष्ट-"क" पैरा सं. 4 के संदर्भ में

बैंक समाधान विवरणी:-

	Bank Reconciliation Statement	**Amount (₹)**
	Own Source, 5th FC, VKVNY, SBM, SDRF, VMJSY, SJVN, DCP and Other Grants	
	Total Cash Book balance on 31.03.2023	₹7025563.88/-
	Detail of Bank A/c's	
	(1) HPSCB Dhalli a/c No. 4090103033	₹3292075.93/-
	(2) HP Gramin Bank Dhalli a/c No. 89420100001959	₹3794064.51/-
	(3) Indusind Bank Shimla a/c No. 151772842566	₹5274/-
	Total	₹7091414.44/-
	Difference between cash book and bank balances	**₹65850.56/-**
	14th Finance Commission	
	Total Cash Book balance on 31.03.2023	₹892/-
	Detail of Bank A/c's	
	(1) HPSCB Dhalli a/c No. 40910105739	₹19652/-
	Difference between cash book and bank balances	**₹18760/-**
	15th Finance Commission	
	Total Cash Book balance on 31.03.2023	₹3330639.00
	Detail of Bank A/c's	
	(1) Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602	₹3437327.00
	Difference between cash book and bank balances	**₹106688/-**
	Detail of Difference	

	Particulars	Dr.	Cr.
	Balance as per cash book	**3330639.00**	
1	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Jan 1, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	20030.00	-----
2	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Oct 02, 2021 was Rs.19743, but only Rs. 17297 was taken at online cash book on dt. 30.03.022 thus Rs. 2446 less taken at Cash Book till 31.03.2023.	2446.00	-----
3	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on July 1, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	20669.00	-----
4	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Oct 02, 2022, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	19652	-----

5	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on Jan 01, 2023, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	21314	-----
6	Interest was credited to the Axis Bank Sanjauli a/c no. 920010040873602 on March 31, 2023, and this transaction has not been recorded in the cash book till 31.03.2023.	22577	-----
	Balance as per bank passbooks (Detail as above)	-----	3437327.0
	Total	**₹3437327.00**	**₹3437327.**
	WIMP		
	Total Cash Book balance on 31.03.2023		₹0/-
	Detail of Bank A/c's		
	1. HP Gramin Bank Dhalli a/c No. 89420100008402		₹0/-
	Difference between cash book and bank balances		**-Nil-**

सचिव
ग्राम पंचायत चनियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह० व जिला शिमला (हि०प्र०)

परिशिष्ट -"ख" 10 व 11 (क) के संदर्भ में

गृह कर विवरण

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2021-22	13860.00	21510.00	35370.00	12510.00	22860.00
2022-23	22860.00	21915.00	44775.00	6345.00	38430.00

दूकान किराया विवरण

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2021-22	805050.00	766438.00	1571488.00	651698.00	919790.00
2022-23	919790.00	877538.00	1797328.00	391640.00	1405688.00

सचिव
ग्राम पंचायत चमियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह. व ज़िला शिमला (हि.प्र.)

परिशिष्ट -"ग" पैरा सं. 15 के संदर्भ में

टावर सम्बन्धी सूचना

कम सं0	कम्पनी का नाम	टावरों की संख्या	मह / वर्ष जिसमे स्थापित किए गए	स्थापना शुल्क जो वसूल किया गया	वर्ष	अथ शेष	कुल मांग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि	टिप्पणी
1	जियो रिलाईन्स	1	28–12–2020	23750	2021–2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	28–12–2020 को वर्ष 2025 तक का नवीकरण शुल्क अग्रिम प्राप्त
1	जियो रिलाईन्स	1			2022–2023	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	28–12–2020 को वर्ष 2025 तक का नवीकरण शुल्क अग्रिम प्राप्त

सचिव
ग्राम ... हमीयाना
विकास खण्ड ... नरा
तह. ... जिला ... (...)

परिशिष्ट -"घ" पैरा सं. 26 के संदर्भ में

Detail of Purchase of Construction Work material without deducting Royality

Name of Supplier	Bill No. & Date	Vr. No. & Date	Name of Item	Qty. (cft)	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
14th FC									
Lokesh Shandil, Beolia, Shimla	283/12.06.2022	23/P/48/28.03.2023	Sand	360.00	10.19	1.60	16.30	60.00	978.00
	216/03.11.2021	34/29.11.2021	Sand	140.00	3.96	1.60	6.34	60.00	380.00
			Aggrigate	232.00	6.57	1.92	12.61	80.00	1008.00
	218/07.11.2021	35/03.12.2021	Sand	180.00	5.09	1.60	8.15	60.00	489.00
			Aggrigate	180.00	5.09	1.92	9.78	80.00	782.00
	225/05.12.2021	42/04.01.2022	Sand	90.00	2.55	1.60	4.08	60.00	245.00
			Aggrigate	190.00	5.38	1.92	10.32	80.00	826.00
General Fund									
Lokesh Shandil, Beolia, Shimla	248/05.03.2022	224/25.03.2022	Sand	540.00	15.28	1.60	24.45	60.00	1467.00
			Aggrigate	540.00	15.28	1.92	29.34	80.00	2347.00
	250/08.03.2022	225/25.03.2022	Sand	250.00	7.08	1.60	11.32	60.00	679.00
			Aggrigate	250.00	7.08	1.92	13.58	80.00	1087.00
	343/23.12.2022	225/27.02.2023	Aggrigate	500.00	14.15	1.92	27.17	80.00	2173.00
	377/24.02.2023	226/27.02.2023	Sand	60.00	1.70	1.60	2.72	60.00	163.00
			Aggrigate	120.00	3.40	1.92	6.52	80.00	522.00
Total									**₹ 13,146.00**

सचिव
ग्राम पंचायत चमियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह. व जिला शिमला (हि.प्र.)

परिशिष्ट -"इ" पैरा सं० 21 के संदर्भ में

Details of purchased goods/material which have not been entered in the stock register					
Sr. No.	**Vr. No. & Dated**	**Name of fund**	**Name of Firm/Supplier**	**Description of items**	**Amount**
1	240/27.03.2023	General	Crystal Hub Sanjauli	Track suit with sublimation	25000
2	23/P/55/21.03.2023	15th FC	M/s Krishna Steel Fabrication	1 Nos Dustbeen	20000
3	23/P/4605.03.2023	15th FC	M/s Krishna Steel Fabrication	12 Nos Dustbeen	20000
4	67/25.03.2023	14th FC	Ved Concrete Works	Interlock Gray 40mm	51743
5	65/21.03.2023	14th FC	Ved Concrete Works	Interlock Gray 40mm	62091
Total					**₹ 178,834.00**

सचिव
ग्राम पंचायत चमियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह० व जिला शिमला (हि.प्र.)

परिशिष्ट - "च" पैरा सं० 30 के सन्दर्भ में

Detail of Purchase of Material without inviting quotations/tenders					
Sr. No.	**Vr. No. & Dated**	**Name of fund**	**Name of Firm/Supplier**	**Description of items**	**Amount**
1	22/P/27/05.03.2022	14th FC	Sh. Raj Kumar	Loading charges of Sand, Aggregate and Cement	28080
2	223/25.03.2022	General	Sh. Sohan Thakur	Trasportaion of garbage Bhattakuffer to Bharyaal	11000
4	59/28.03.2023	14th FC	Krishna Steel Fabrication	Sheet door	11220
5	23/10.03.2023	General	Navchetna Transports	Collection, Transportation and Disposal of Garbage	18000
Total					**₹ 68,300.00**

सचिव
ग्राम पंचायत चमियाना
विकास खण्ड मशोबरा
तह० व जिला शिमला (हि०प्र०)